सं0:4/17/33–3–2019– 10 जी.आई./ 2015

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
पंचायती राज मंत्रालय,
भारत सरकार, नई दिल्ली।

पंचायती राज अनुभाग–3 लखनऊ, दिनांक: 30 दिसम्बर, 2019

विषयः दिनांक 02 अक्तूबर से 31 दिसम्बर, 2019 के मध्य संचालित जन योजना अभियान, 2019 की अवधि विस्तारित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली के D.O. No. M-11015 / 159/2019-CB दिनांक 16 जुलाई, 2019 के क्रम में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा शा0सं0–1939/33–3–2019–10 जी.आई./2015, दिनांक 16 अगस्त, 2019 से वर्ष 2020–21 की वार्षिक कार्ययोजनाओं के निर्माण के लिए दिनांक 02 अक्तूबर से 31 दिसम्बर, 2019 के मध्य 'जन योजना अभियान' के संचालन के निर्देश समस्त जनपदों को प्रसारित किए गए हैं।

उक्त के सम्बंध में अवगत कराना है कि ग्राम पंचायतों में जन योजना अभियान के सफल संचालन के लिए विभाग प्रतिबद्ध है एवं समस्त ग्राम पंचायतों में फैसिलिटेटर एवं फ्रंटलाइन वर्कर की रोस्टर के साथ लगभग 94 प्रतिशत ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा की बैठकें आयोजित की जाती है एवं प्लान–प्लस में ग्राम पंचायतों की वार्षिक कार्ययोजना अपलोड किए जाने की कार्यवाही शीघ्रता से की जा रही है, परन्तु जनयोजना अभियान की अवधि में शत–प्रतिशत जी.पी.डी.पी. अनुमोदन एवं प्लान अपलोड हो पाना निम्न कारणों से सम्भव नही हो पा रहा है–

1. प्रदेश की 58808 ग्राम पंचायतें एवं उसमें कार्यरत कर्मी प्रियासाफ्ट–पी.एफ.एम.एस इंटीग्रेशन की दिशा में की जा रही वृहद कार्यवाही में निरन्तर पॉच माह से व्यस्त हैं, जिसके कारण ग्राम सभा की बैठक के पश्चात भी कार्ययोजना अनुमोदन एवं उसको प्लान–प्लस पर अपलोड किए जाने का कार्य 31 दिसम्बर, 2019 तक किया जाना सम्भव नही हो पा रहा है।
2. वित्तीय वर्ष 2020–21 में 5वें राज्य वित्त आयोग की मैपिंग का कार्य 17 दिसम्बर, 2019 को किया गया है। उक्त मैपिंग न होने के कारण कार्ययोजना समय से अपलोड किया जाना सम्भव नहीं हुआ है।
3. मिशन अन्त्योदय योजनान्तर्गत कराए गए सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण अन्तर्गत लगभग 17,543 ग्राम पंचायतों की रिपोर्ट विकास खण्ड स्तर पर पेडिंग की स्थिति में है। सभी रिपोर्ट के अनुमोदन के पश्चात ही वार्षिक कार्ययोजना प्लान–प्लस पर अनुमोदन की स्थिति में आ सकेगी।
4. आर.जी.एस.ए. योजना में कई गतिविधियॉ सीधे रूप से ग्राम पंचायतों में संचालित हैं एवं आर.जी.एस.ए. योजना अभी तक प्लान–प्लस पर उपलब्ध नहीं है।

अतः उक्त तथ्यों के दृष्टिगत आपसे अनुरोध है कि प्रदेश में जनयोजना अभियान की अवधि 15 फरवरी, 2020 तक विस्तारित करने का कष्ट करें जिससे कि ग्राम पंचायतों द्वारा जी.पी.डी.पी. के सभी घटकों पर शत–प्रतिशत कार्य करते हुए कार्ययोजना को प्लान–प्लस पर अपलोड किया जा सके।

भवदीय,

(अनुराग श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांकः– तदैव।

प्रतिलिपि निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(जोगेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

Dell/d/kranti/GO